भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1207
दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के संबंध में

1207 # श्री बंशीलाल गुर्जरः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु पंचायती राज डायरेक्टोरेट द्वारा किस प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ख) 15वें वित्त आयोग की अनुशांसाओं के अनुसार स्वच्छता एवं जल संबंधी कार्यों हेतु सशर्त अनुदान का कितना उपयोग किया गया है?

उत्तर

पंचायती राजराज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, पंचायत राज निदेशालय ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए अनुदान और निधियों का आवंटन करता है। ये धनराशि केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्र सरकार की केंद्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य वित्त आयोगों तथा अन्य राज्य स्तरीय योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, निदेशालय ग्राम पंचायत सचिवों और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी संचालित करता है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत स्वच्छता और जल से जुड़े कार्यों के लिए अब तक 8257.60 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है, जिसमें से 5977.19 करोड़ रुपये (72.38%) का उपयोग किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतों को बद्ध (टाइड) अनुदान के अंतर्गत वर्षवार जारी राशि का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	जारी किया गया बद्ध (टाइड) अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	2020-21	1992.00
2	2021-22	1766.40
3	2022-23	1830.00
4	2023-24	1691.54
5	2024-25 (प्रथम किस्त)	977.66
	कुल	8257.60
